

श्री. नारायण गजवरा
 बा. नं. 147 के इ.प्र. 20-3-18
 का प्रत्यक्ष प्रमाण
 20-3-18

माननीय राजस्व मंडल न्यायालय केंप इंदौर
 PBR/ गिजरानी/धार/भू.रा/2018/1958

- 1-बनुबाई पति स्व० दामाजी सिर्वी
 निवासी- ग्राम तलवाड़ा ते० कुक्षी
 जिला- धार म.प्र.
- 2-ज्योती पिता स्व० दामाजी पति दिनेश सिर्वी
 निवासी-ग्राम तलवाड़ा हा.मु. ग्राम पालेड़ी
 तह० सरदारपुर जिला धार
- 3-ललीता पिता स्व० दामाजी पति कैलाश सिर्वी
 निवासी-ग्राम तलवाड़ा हा.मु. ग्राम साला
 तह. मनावर जिला धार

प्रार्थी / प्रत्यर्थी

विरुद्ध

- 1-जीवाजी पिता नैनाजी सिर्वी
 निवासी-ग्राम तलवाड़ा हा.मु. मुखर्जी नगर देवास
- 2-गोपाल पिता नैनाजी सिर्वी मृत तर्फे वारिस
 अ-डॉ० सुनील पिता स्व० गोपाल उम्र 38 वर्ष
 धंधा चिकित्सक नि० संविद नगर इंदौर
 ब-सुनिता पति कैलाश सिर्वी
 निवासी- आईमाता मंदिर के पास कुक्षी जि. धार
- स-जसवन्तबाई पति स्व० गोपाल सिर्वी
 निवासी- संविद नगर इंदौर
- द-विनिता पति राहुल नाहर
 निवासी- संविद नगर इंदौर
- 3- तत्कालिनहल्का पटवारी
 सैयद अली खान ,पटवारी हल्का नं. 60
 ग्राम तलवाड़ा ते० कुक्षी जि० धार

प्रतिप्रार्थी / अपीलार्थी

प्रतिप्रार्थी /प्रत्यर्थी

रिविजन धारा 50 भू-राजस्व संहिता 1959



माननीय महोदय

उपरोक्त प्रार्थी अधिनस्त राजस्व न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी कुक्षी जिला धार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/अपील/16-17 में दिनांक 29-1-18 को पारित आदेश से असंतुष्ट होकर यह रिविजन नियत अवधि में नियत न्याय शुल्क पर

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/धार/भूरा/2018/1958

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
20-2-2019	<p>आवेदकपक्ष की ओर से श्री निलेश गंगवाल अधिवक्ता उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-09-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p> <p> संजय</p> <p> (मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>	